

राशनकार्ड नवीनीकरण हेतु आवेदन सह घोषणा पत्र

प्रति,

आयुक्त / मुख्य नगर पालिका अधिकारी / सचिव, ग्राम पंचायत,
ग्राम / वार्ड
ग्राम पंचायत / नगरीय निकाय
तहसील / विकासखण्ड
जिला

दो पासपोर्ट
साईज
फोटो संलग्न
करे।

विषय :- राशनकार्ड नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने बाबत् ।

महोदय,

मैं पिता / पति का नाम

..... कथन करती / करता हूँ कि मेरे नाम पर अन्त्योदय / प्राथमिकता / निःशक्तजन / अन्नपूर्णा / निराश्रित राशनकार्ड क्रमांक जारी है। *
मैं उपरोक्त राशनकार्ड के नवीनीकरण हेतु निम्नानुसार आवेदन पत्र प्रस्तुत करती / करता हूँ :—

1. आवेदक का पूरा नाम सरनेम सहित (जैसा कि आधारकार्ड में नाम दर्ज है) –

(हिन्दी में)

2. जाति (अनु. जाति / जन जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / सामान्य) –

3. आवेदक का वर्तमान पता –

मकान नंबर गली नंबर

मोहल्ला / ग्राम वार्ड नंबर. / ग्राम पंचायत.....

आवेदक के द्वारा उपरोक्त वर्तमान पते की पुष्टि हेतु आवश्यक दस्तावेज (आधारकार्ड / इपिक कार्ड / ड्राईविंग लाईसेंस / बैंक पासबुक) की छायाप्रति संलग्न की जावे।

4. आधारकार्ड के अनुसार आवेदक की जन्म तिथि (DD/MM/YYYY में) –

5. आवेदक का मोबाईल नंबर –

6. संलग्न किये जाने वाले उचित मूल्य दुकान का नाम –

7. आवेदक के बैंक खाते का विवरण ** –

बैंक खाता क्रमांक –

बैंक का नाम –

ब्रांच का नाम –

आईएफएससी कोड –

* राशनकार्ड के पीडीएफ के प्रथम एवं अंतिम पृष्ठ की प्रति संलग्न करें।

** आवेदक के बैंक खाते की छायाप्रति अनिवार्य रूप से संलग्न किया जावे।

8. राशनकार्ड में शामिल आवेदक के परिवार के सदस्यों का विवरण –

क्र.	आधार कार्ड के अनुसार सदस्य का नाम (हिन्दी में)	आधार कार्ड में दर्ज जन्म तिथि (DD/MM/YYYY)	लिंग	आवेदक मुखिया से संबंध	आधार कार्ड क्रमांक

9. सदस्यों का नाम जोड़ने / हटाने हेतु विवरण –

क्र.	आधार कार्ड के अनुसार सदस्य का नाम (हिन्दी में)	आधार कार्ड में दर्ज जन्म तिथि (DD/MM/YYYY)	लिंग	आवेदक मुखिया से संबंध	आधार कार्ड क्रमांक

आवेदक एवं परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड की छायाप्रति अनिवार्य रूप से संलग्न किया जावे। आधार कार्ड उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में आधार पंजीयन पावती (EID) की छायाप्रति संलग्न की जावे।

10. मैं यह घोषणा करती / करता हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन सह घोषणा पत्र में जो विवरण दिया गया है उनमें से किसी भी सदस्य के नाम से न तो पृथक से राशनकार्ड है और न ही उनमें से किसी का नाम छत्तीसगढ़ राज्य के किसी अन्य जिलो के राशनकार्ड में दर्ज है। आवेदन में मेरे द्वारा दर्ज जानकारी की पुष्टि हेतु मेरे पास आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध हैं, जिसकी मांग किये जाने पर मेरे द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा।

मैं सत्य निष्ठा से घोषणा करती / करता हूँ कि इस घोषणा पत्र पर मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारियां पूर्णतः सत्य हैं तथा यह इकरार करती / करता हूँ कि जांच के दौरान मेरे द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है तो मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 9 के तहत दण्ड का भागी रहूंगी / रहूंगा।

स्थान –

आवेदक का हस्ताक्षर

दिनांक –

नाम

// प्रतिवेदन //

(प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भरा जावे)

(निम्न में से उचित विकल्प पर सही का निशान लगाएं)

मेरे द्वारा आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियां एवं दस्तावेज का अवलोकन किया गया तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत जानकारी राशनकार्ड नवीनीकरण हेतु उपयुक्त पाई गई।

अथवा

मेरे द्वारा आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियां एवं दस्तावेज का अवलोकन किया गया तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत जानकारी राशनकार्ड नवीनीकरण हेतु उपयुक्त नहीं पाई गई।

प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा